

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर

खण्ड XVI | अंक 6 | दिसंबर 2020



I. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख के साथ गवर्नर की बैठक

गवर्नर ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें कीं। अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बात की और आर्थिक गतिविधियों में चल रहे पुनरुत्थान का समर्थन करने में बैंकिंग क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। वित्तीय क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ के साथ, उन्होंने महामारी की शुरुआत के बाद से रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला।

अन्य विषयों के साथ, बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- वर्तमान आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण का आकलन;
 - मौद्रिक नीति संचरण और चलनिधि की स्थिति;
 - दबावग्रस्त क्षेत्र और एमएसएमई सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह;
 - कोविड से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान ढांचे के कार्यान्वयन में प्रगति;
 - राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में पहचान किए गए जिलों को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाने में की गई प्रगति;
 - बैंकों में आईटी अवसंरचना और आईटी प्रणालियों की क्षमता और दक्षता को मजबूत करना और बढ़ाना; तथा
 - बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

II. मौद्रिक नीति

एमपीसी का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4 दिसंबर 2020 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियाँ- मुख्य बातें

गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए चलनिधि उपाय

- कामथ समिति द्वारा चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को मांग पर टीएलटीआरओ के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में लाने का प्रस्ताव;
- आरआरबी को उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में मांग / सूचना मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति देना;

विनियमन और पर्यवेक्षण

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित लाभ से कोई लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे;
- एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन मापदंडों के मैट्रिक्स के अनुसार लाभांश घोषित करने की अनुमति होगी;
- एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप विनियामक ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एनबीएफसी को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख के साथ गवर्नर की बैठक	1
II. मौद्रिक नीति	1
III. विनियमन	2
IV. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
V. वित्तीय समावेशन	4
VI. रिज़र्व बैंक ने आगाह किया	4
VII. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

- नियामक ढांचे के साथ परामर्श करने का निर्णय लिया गया है;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने पर बड़े यूसीबी और एनबीएफसी को दिशानिर्देश जारी करना;
- वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर निर्देशों का सामंजस्य करना;
- विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) दिशानिर्देश, 2020 जारी करने का प्रस्ताव;
- मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता (सीएफएल) केंद्रों की पहुंच का विस्तार करना;
- अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर विस्तृत प्रकटन के साथ एक व्यापक ढांचा तैयार करना;

वित्तीय बाजारों को व्यापक करना

- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करना;
- नवंबर 2011 में जारी किए गए व्युत्पन्न संबंधी मौजूदा व्यापक दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाज़ार पर ड्राफ्ट निर्देशों के तीन सेट; जमा प्रमाणपत्र (सीडी); और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करना;

बाह्य व्यापार सुविधा

- एडी बैंकों को मामलों को नियमित करने में सक्षम करने के लिए मौद्रिक सीमा को हटाना, जहां निर्यात शिपमेंट के मूल्य के बावजूद निर्यात आय की वसूली हुई है;
- निर्दिष्ट परिस्थितियों में सीमा के बिना, एडी बैंकों को राइट-ऑफ की अनुमति देने की शक्ति का प्रत्यायोजन;
- एडी बैंकों को अनुमति देने के लिए कि वे भारतीय कंपनियों को आयात भुगतान के सापेक्ष अपने निर्यात प्राप्तियों को सेट-ऑफ करने की अनुमति दे सके;
- माल के आयात पर जोर दिए बिना रिफंड अनुरोधों पर विचार करने के लिए एडी बैंकों को अनुमति देना;

भुगतान और निपटान प्रणाली

- भुगतान प्रणालियों (अर्थात, आईपीएस, आईएमपीएस, एनईटीसी, एनएफएस, रूपे, यूपीआई) की निपटान फाइलों को वर्ष के सभी दिनों में रिज़र्व बैंक को पोस्ट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव;
- उपयोगकर्ता के विवेक पर, कार्ड (और यूपीआई) के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-मेंडेंट की सीमा को 1 जनवरी 2021 से ₹ 2,000 से ₹ 5,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

III. विनियमन

मांग/ सूचना/ मियादी मुद्रा बाजार तक पहुंच

रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के रूप में मांग / सूचना और मियादी मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी। आरआरबी के लिए मांग / सूचना और मियादी मुद्रा बाजार पर विवेकपूर्ण सीमाएं और अन्य दिशानिर्देश उसी तरह होंगे जैसे मुद्रा बाजार लिखत: मांग / सूचना और मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाणपत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) संबंधी दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित रिज़र्व बैंक के [मास्टर निदेश सं. 2 / 2016-17 के संदर्भ में अनुसूचित बैंक](#) बैंकों के लिए लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों के तहत प्रदान की गई शक्तियों

का प्रयोग करते हुए ये निदेश जारी किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

आरआरबी के लिए एलएएफ और एमएसएफ आरंभ करना

4 दिसंबर 2020 को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करने वाले अनुसूचित आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दी जाएगी:

- कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) को कार्यान्वित कर चुके हैं,
- सीआरएआर कम से कम नौ प्रतिशत है और
- एलएएफ और एमएसएफ का लाभ उठाने के लिए वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं।

जो आरआरबी एलएएफ और एमएसएफ में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं (सकारात्मक सूची/ पॉजिटिव लिस्ट) और जो आरआरबी पात्र नहीं पाए गए हैं (नकारात्मक सूची/ नेगेटिव लिस्ट), उनके नाम संबंधित बैंकों को सूचित किए जाएंगे। बैंकों की पात्रता की स्थिति की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर 2020 को सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को सूचित किया कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित मुनाफे से इक्विटी शेयरों पर कोई भी लाभांश भुगतान न करें। इसका उद्देश्य बैंकों के तुलन-पत्र को और मजबूत करना, साथ ही वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण देने में समर्थन देना था। COVID-19 के कारण चल रहे तनाव और बढ़ रही अनिश्चितता के मद्देनजर, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और घाटे को अवशोषित करने के लिए पूंजी का संरक्षण जारी रखें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

बैंकों द्वारा चालू खाता खोलना

रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2020 को बैंकों को विशिष्ट खातों को खोलने की अनुमति दी, जो कि [दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र](#) के संदर्भ में किसी भी प्रतिबंध के बिना, अन्य विनियमकों / विनियामकीय विभागों के विभिन्न कानून तथा निर्देशों के तहत निर्धारित हैं। ऐसे खातों की सांकेतिक सूची नीचे दी गयी है:

- घर खरीदारों से एकत्र किए गए अग्रिम भुगतान का 70% बनाए रखने के उद्देश्य से स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) एल (डी) के तहत अनिवार्य स्थावर संपत्ति परियोजनाओं के लिए खाते।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विशिष्ट गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर / प्री-पेड भुगतान लिखत जारीकर्ता के नोडल या एस्क्रो खाते।
- डेबिट कार्ड / एटीएम कार्ड / क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता / लेने वालों से संबंधित बकाया के निपटान के लिए खाते।
- फेमा, 1999 के तहत अनुमत खाते।
- आईपीओ / एनएफओ / एफपीओ शेयर बायबैक / लाभांश भुगतान / वाणिज्यिक पत्र निर्गम / डिबेंचर / ग्रेच्युटी के आवंटन आदि के प्रयोजन के लिए खाते, जो संबंधित विधियों या नियमकों द्वारा अध्यादेशित हैं और केवल विशिष्ट या सीमित लेनदेन के लिए हैं।
- ऐसे बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए, जो कि ऐसे करों, शुल्कों, वैधानिक देय राशि, आदि को एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, के लिए प्राधिकृत बैंकों के साथ करों, शुल्कों, वैधानिक देयताओं आदि के भुगतान के लिए खोले गए खाते।

□ मुद्रा की सोर्सिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स और उनके एजेंटों के खाते।

बैंक कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर सभी चालू खातों और नकदी क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट की नियमित रूप से निगरानी करेंगे, विशेष रूप से उधारकर्ता के बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर के संबंध में ताकि [6 अगस्त 2020 के परिपत्रों](#) में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विस्तार पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

मांग पर टीएलटीआरओ

रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर 2020 को सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के साथ तालमेल में, मांग पर लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों (टीएलटीआरओ) योजना के तहत तनावग्रस्त क्षेत्रों को कवर करने का निर्णय लिया। तदनुसार, [21 अक्टूबर 2020](#) को योजना के तहत घोषित पांच क्षेत्रों के अलावा, अब मांग पर टीएलटीआरओ के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को लाने का प्रस्ताव है। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 18 दिसंबर 2020 को सीकेवाईसीआर (केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री) को कानूनी संस्थाओं (एलई) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, पीएमएल नियमों के नियम 9 (1ए) के अनुसार विनियमित संस्थाओं (आई) को 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद खोले गए सभी कानूनी संस्थाओं के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा को सीकेवाईसीआर पर अपलोड करना होगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

आरटीजीएस प्रणाली की 24 x 7 उपलब्धता

रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से आरटीजीएस को वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया। आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया गया था:

- आरटीजीएस 'एंड-ऑफ-द-डे' और 'स्टार्ट-ऑफ-डे' प्रक्रियाओं के बीच अंतराल को छोड़कर, जिनकी समय-सीमा आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से विधिवत प्रसारित होगी, चौबीसों घंटे ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन के लिए उपलब्ध होंगे।
- आरटीजीएस को समय-समय पर संशोधित आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली, 2013 द्वारा नियंत्रित किया जाता रहेगा।
- सुचारू संचालन की सुविधा के लिए इंटर-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करें। यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007(2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया था। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

कार्ड लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर 2020 को संपर्क रहित प्रति कार्ड लेनदेन सीमा को ₹ 5,000/- तक बढ़ाने का निर्णय लिया। वर्तमान COVID-19 महामारी ने संपर्क रहित लेनदेन के लाभों को रेखांकित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, [4 दिसंबर 2020](#)

[को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य](#) में घोषणा की गई थी कि संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (एएफए) छूट के लिए प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाई जाएगी। यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007(2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

सीओए के लिए स्थायी वैधता

रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर 2020 को सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स (पीएसओ) नए और मौजूदा दोनों को, एक स्थायी आधार पर, सामान्य स्थितियों के अधीन प्राधिकरण प्रदान करने का निर्णय लिया। मौजूदा अधिकृत पीएसओ के लिए, स्थायी वैधता प्रदान करने की जांच तब की जाएगी जब प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) नवीकरण के लिए देय होगा बशर्ते उन्होंने निम्नलिखित का पालन किया हो:

- नियम और शर्तों का पूर्ण अनुपालन जिसके अधीन प्राधिकरण प्रदान किया गया था;
- प्रवेश मानदंड जैसे कि पूंजी, निवल मूल्य आवश्यकताओं, इत्यादि का पालन;
- पीएसओ के संचालन से संबंधित कोई प्रमुख विनियामक या पर्यवेक्षी समस्या नहीं, जैसा कि ऑनसाइट और / या ऑफसाइट निगरानी के दौरान देखा गया है;
- ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य विभागों / विनियामकों / सांविधिक निकायों इत्यादि से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो।

मौजूदा पीएसओ जो सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए एक वर्ष का नवीनीकरण दिया जाएगा; यदि कोई भी इकाई उचित समय में ऐसा करने में विफल रहती है, तो उनका प्राधिकरण वापस लिया जा सकता है। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

कूलिंग पीरियड को प्रारंभ करना

रिज़र्व बैंक ने 04 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित स्थितियों में कूलिंग पीरियड की अवधारणा शुरू करने का निर्णय लिया:

- प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) जिनका प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र (सीओए) किसी भी कारण से निरस्त या नवीनीकृत नहीं है; या
- किसी भी कारण से सीओए का स्वैच्छिक समर्पण किया गया हो; या
- भुगतान प्रणाली के प्राधिकरण के लिए आवेदन को रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।
- नई संस्थाएं जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी प्रवर्तकों द्वारा स्थापित की गई हैं; इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों की परिभाषा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार परिभाषित की जाएगी।

निरस्तीकरण / गैर-नवीकरण / स्वैच्छिक समर्पण की स्वीकृति / आवेदन की अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, की तारीख से सीपी एक वर्ष के लिए होगा। रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी कारण से संस्थाओं के प्राधिकरण आवेदन वापस करने के संबंध में, इकाई को आवेदन जमा करने का अतिरिक्त अवसर देने के बाद सीपी की शर्त लागू की जाएगी। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

विनियामक सैंडबॉक्स

रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2020 को घोषित किया कि विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत 'परीक्षण चरण' के लिए चयनित शेष चार इकाइयों ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है:

- टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (सिटिकेश) मुंबई- यह उत्पाद ऑफलाइन पर्सन-टू-मचेंट (पी2एम) लेनदेन को

सुविधाजनक बनाने के लिए नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) आधारित प्रीपेड कार्ड और एनएफसी सक्षम प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस का एक सेट है। कार्ड का उपयोग यात्रा पास और वॉलेट के रूप में और बस के टिकट खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है और साथ ही चुनिंदा व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है।

- टोनटैग (नेफा इनोवेशंस (प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड) बेंगलुरु- यह उत्पाद उपकरणों के बीच इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) पर डेटा ट्रांसफर के लिए एक सुरक्षित चैनल स्थापित करके, 'ध्वनि माध्यम' के पी 2 एम लेनदेन के लिए एक ऑफ़लाइन, फीचर फोन-आधारित यूपीआई भुगतान समाधान है। यह उत्पाद इंटरनेट के बिना भी संपर्क रहित भुगतान के लिए सक्षम है।
- उबोना टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड बेंगलुरु- इस उत्पाद में फीचर फोन सहित मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर वॉइस-बेस्ड यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन में ऑफ़लाइन पर्सन-टू पर्सन (पी2पी) और पी2एम ट्रांजैक्शन की सुविधा है। यह उत्पाद आईवीआर के माध्यम से ग्राहक को पर्सदीदा भारतीय भाषा की सुविधा भी प्रदान करता है, जो डिजिटल लेनदेन को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है।
- ईरूट टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड नोएडा- यह उत्पाद यूपीआई आधारित ऑफ़लाइन भुगतान समाधान है जो पी2पी / पी2एम लेनदेन की सुविधा के लिए सिम टूल किट (एसटीके) मेनू-आधारित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को चलाने के लिए सिम पर लगाए गए सिम ओवरले स्मार्टकार्ड का उपयोग करता है। यह उत्पाद गैर-इंटरनेट कनेक्टेड फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को भुगतान समाधान प्रदान करता है। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरा कोहॉर्ट खोलना

रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को 'सीमापार भुगतान' विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। नवाचार और वैविध्यपूर्ण पात्रता मानदंड को प्रोत्साहित करने के लिए, विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) में भाग लेने हेतु साझेदारी फर्म और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) सहित निवल मालियत अपेक्षाओं को मौजूदा ₹ 25 लाख से ₹ 10 लाख तक कम करके सक्षम ढांचे को संशोधित किया गया है। तीसरे कोहॉर्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' का चयन करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण उचित समय पर घोषित किया जाएगा। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

V. वित्तीय समावेशन

वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र

समावेशी विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को व्यापक करने और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित कर ग्राहकों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना कर 80 ब्लॉकों में समुदाय में भागीदारी पहुंच के माध्यम से और वित्तीय साक्षरता निधि (नाबार्ड का एफआईएफ) से निधियन सहायता से एक अभिनव तरीके से वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए चुनिंदा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल किया गया था। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड और प्रायोजक बैंकों से धन मिलने के पश्चात इस प्रोजेक्ट को 2019 में जनजातीय / आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 20 और ब्लॉकों तक विस्तारित किया गया।

प्राप्त अनुभव के आधार पर, हितधारकों (बैंकों और गैर- सरकारी संगठनों) से प्राप्त फीडबैक और एक स्थायी तरीके से जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि सीएफएल की पहुंच को

मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश में हर ब्लॉक में विस्तारित किया जाए। डीईए फंड के साथ सूचीबद्ध चयनित गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी संयोजक बैंकों, जिनके पास अग्रणी जिला जिम्मेदारियां हैं, के माध्यम से स्केल्ड अप प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है।

VI. रिज़र्व बैंक ने आगाह किया

रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर 2020 को आम जनता को यह आगाह किया कि वे बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन / मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी / फर्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित / अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/ बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल (<https://sachet.rbi.org.in>) का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

व्यक्तियों / छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहे हैं। रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों, जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार अधिनियम, के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां की जा सकती हैं। अधिक पढ़ने के लिए यहां [क्लिक](#) करें।

VII. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2020 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन, **भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2019-20** जारी किया। यह रिपोर्ट 2019-20 और 2020-21 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है। इस वर्ष की रिपोर्ट का व्यापक विषय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों पर COVID-19 का प्रभाव और आगे के उपाय है। रिपोर्ट के मुख्य अंश हैं:

- 2019-20 और 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने 2018-19 में बदलाव (टर्न अराउंड) के बाद हासिल किए गए लाभ को समेकित किया।
 - एससीबी की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2019 के अंत में 9.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2020 के अंत में 8.2 प्रतिशत और सितंबर-2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत पर आ गया।
 - एससीबी की जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात मार्च 2019 के अंत में 14.3 प्रतिशत से मजबूत होकर मार्च 2020 के अंत में बढ़कर 14.7 प्रतिशत और सितंबर 2020 के अंत तक 15.8 प्रतिशत हो गया, जोकि आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण और दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने से प्राप्त सहायता के कारण हुई।
 - रिज़र्व बैंक ने COVID-19 के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए; इसके विनियामक दायरे को वैधानिक संशोधनों द्वारा सुदृढ़ किया गया था, जिसने इसे सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर अधिक अधिकार दिया है; और इसने अपने पर्यवेक्षी ढांचे को संभालने के लिए कई पहल की हैं।
- संपूर्ण रिपोर्ट के लिए यहां [क्लिक](#) करें।